तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/8/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थीया मन्जू बाई की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया के कब्जे व खाते की आराजी कृषि भूमि वाके ग्राम गिरधरपुरा पटवार हल्का – भू0 अ0 नि0 सकतपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा के सम्वत 2070 – 2073 के खाता संख्या नया 98 पुराना 93 के खसरा संख्या 291 रकबा 0.0500 है0 खसरा संख्या 305 रकबा 0.6300 है0 कुल कुल किता 2 कुल रकबा 0.68 है0 में हिस्सा 1/24 विरिथत है। प्रार्थीया के पिता श्री तोलूलाल जी की मृत्यु दिनांक 29.08.2019 को हो गई हैं जिसमें प्रार्थीया ने अपने खाते की नकल नकल प्राप्त करने पर मालूम हुआ कि प्रार्थीया का नाम मन्जू बाई के स्थान पर मन्नू बाई गलत दर्ज हो रहा हैं जिसको ठीक करवाने के लिए हल्का पटवारी गिरधरपुरा व तहसीलदार साहब से मिलि तो उन्होंने, उससे कहा कि न्यायालय का आदेश लेकर आओ तब जाकर नाम का शुद्धिकरण करेंगें जिससे यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश कर रहीं है। प्रार्थीया का नाम मन्जूबाई के स्थान पर मन्नूबाई गलत तरीके दर्ज कर हो गया है जबकि प्रार्थीया का सहीं नाम मन्जू बाई है, तथा उसके समस्त दस्तावेजों व रिकार्ड में भी उसका नाम मन्जू बाई ही अंकित है। यदि इस नाम का सही इन्द्राज नहीं किया तो प्रार्थीया को कागजी, शारीरिक व मानसिक परेशानी का सामना करना पडेगा जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती जिससे प्रार्थीया के नाम का शुद्ध करवाया जाना आवश्यक हो गया है जिससे यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश करना पड रहा है। प्रार्थीया का नाम समस्त रिकार्ड व दस्तावेजों जैसे परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई ड़ी आदि में भी मन्जू बाई ही दर्ज है। अतः श्रीमान से प्रार्थना हैं कि उक्त वाद की चरण संख्या 1 के वाके ग्राम गिरधरपुरा, पटवार हल्का गिरधरपुरा भू0 अ0 नि0 सकतपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा के संवत 2070–73 के खाता संख्या नया 98 पुराना 93 के खसरा संख्या 291 रकबा 0.05 है0 खसरा संख्या 305 रकबा 0.63 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.68 है0 में हिस्सा 1/24 में वादीया का नाम मन्नूबाई पुत्री तोलूलाल के स्थान पर मन्जूबाई पुत्री तोलूलाल किये जाने का आदेश फरमावें तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो उचित हो वादीया को दिलावायी जावें। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में कथन किया गया कि ग्राम गिरधरपुरा के खाता सं0 98 में मन्नू बाई पुत्री तोलूलाल हिस्सा 1/24 जाति माली खाते दर्ज रिकार्ड है। ग्राम वासियान द्वारा जानकारी ली गई ग्राम वासियान द्वारा बताया गया कि प्रार्थिया मन्नूबाई का सही व असली नाम मन्जू बाई ही है। घर में मन्जू को मन्नू कहकर बुलाते थे इसलिए सहवन से खाते में भी मन्नु बाई दर्ज जो गया है। मन्जु बाई और मन्नुबाई एक ही महिला है। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र का अवलोकन किया गया। दस्तावेज से स्पष्ट होता है कि मन्जु बाई और मन्नुबाई एक ही महिला है। प्रार्थीया मन्जू बाई द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को ग्राम गिरधरपुरा के संख्या नया 98 पुराना 93 के खसरा संख्या 291 रकबा 0.05 है0 खसरा संख्या 305 रकबा 0.63 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.68 है0 में के राजस्व रिकार्ड में मन्नुबाई पुत्री तोलूलाल के स्थान पर मन्नुबाई उर्फ मन्जू बाई पुत्री तोलूलाल दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 8/8/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी कोटा	